

अनुदान संख्या 70 – नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
GRANT No. 70 - MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	5743,00,00	5743,01,00	4216,41,49	-1526,59,51
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				671,20,00

पूंजीगत:	Capital :				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	10,00,00	2610,00,00	2575,98,12	-34,01,88
पूरक	Supplementary	2600,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—
1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	4905.00	4430.00	3433.98	-996.02
पु.	R.	-475.00			

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	56500.00			
			43219.81	..	-43219.81
पु.	R.	-13280.19			
मुख्य शीर्ष "2810" नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	Major Head "2810" New and Renewable Energy				
मू.	O.	512895.00			
पू.	S.	1.00	459531.19	418207.51	-41323.68
पु.	R.	-53364.81			

(I) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "2552" – "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा – ग्रिड इंटरैक्टिव तथा वितरित नवीकरणीय विद्युत" के अंतर्गत ₹56500.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) "ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा" – ₹30800.00 लाख – लघु हाइड्रो पावर स्कीम के बंद हो जाने के कारण नई परियोजनाओं की गैर-स्वीकृति, सब्सिडी के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों के किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) "ऑफ-ग्रिड/वितरित तथा विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा" – ₹25700.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।

(I) Provision of ₹56500.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads under Major Head "2552" – "New and Renewable Energy-Grid Interactive and Distributed Renewable Power"- under the following heads:-

(A) "Grid Interactive Renewable Power" - ₹30800.00 lakhs - due to non-sanctioning of new projects owing to dis-continuation of small hydro power scheme, receipt of less proposals for subsidy and re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) "Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power" - ₹25700.00 lakhs – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय" – ₹1471.02 लाख की बचत (₹4905.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना संबंधित खर्चों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2810" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:—

(का) "ग्रिड इन्टरैक्टिव और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा" –

(क) "ग्रिड इन्टरैक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा" – ₹14298.26 लाख की बचत (मार्च, 2022 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹321249.00 लाख के स्वीकृत कुल प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "ऑफ ग्रिडधितरित तथा विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा" – ₹23425.94 लाख की बचत (₹77400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें लघु हाइड्रो पावर स्कीम के बंद हो जाने के कारण नई परियोजनाओं की गैर-स्वीकृति, सब्सिडी के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास" –

(क) "स्वायत्त निकाय" – ₹1004.59 लाख की बचत (₹4867.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "अनुसंधान और विकास" – ₹4807.69 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat -Ministry of New and Renewable Energy" – saving of ₹1471.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4905.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards establishment related expenses and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "2810"- savings occurred under the following heads: -

(A) "Grid Interactive and Distributed Renewable Power" -

(a) "Grid Interactive Renewable Power" - saving of ₹14298.26 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹321249.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2022); and

(b) "Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power"- saving of ₹23425.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹77400.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-sanctioning of new projects owing to discontinuation of small hydro power scheme, receipt of less proposals for subsidy and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Research, Design and Development in Renewable Energy" -

(a) "Autonomous Bodies" - saving of ₹1004.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4867.00 lakhs); and

(b) "Research and Development"- saving of ₹4807.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) "सहायक कार्यक्रम - सहायक कार्यक्रम" - ₹4152.98 लाख की बचत (₹6380.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मानव संसाधन विकास स्कीम को जारी रखने के लिए देर से अनुमोदन मिलने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" -

(क) "ऑफ गिड-गिड/वितरित और विकेन्द्रिकृत नवीकरणीय ऊर्जा" - ₹4363.71 लाख की बचत (₹6200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "गिड इंटरैक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा" - ₹17999.97 लाख की बचत (₹40600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङ) "जनजातीय क्षेत्र उप-योजना" -

(क) "ऑफ गिड-गिड/वितरित और विकेन्द्रिकृत नवीकरणीय ऊर्जा" - ₹5201.13 लाख की बचत (₹8750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें विभिन्न स्कीमों के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों/डेवलपर्स से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "गिड इंटरैक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा" - ₹19434.22 लाख की बचत (₹39800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लघु हाइड्रो पावर स्कीम के बंद हो जाने के कारण नई परियोजनाओं की गैर-स्वीकृति और सब्सिडी के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) "Supporting Programmes - Supporting Programmes"- saving of ₹4152.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6380.00 lakhs) was due to late approval for continuation of Human Resource Development Schemes and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power" - saving of ₹4363.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6200.00 lakhs);

(b) "Grid Interactive Renewable Power"- saving of ₹17999.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40600.00 lakhs); and

(E) "Tribal Area Sub-Plan"-

(a) "Off-Grid/Distributed and Decentralized Renewable Power"- saving of ₹5201.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8750.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals from implementing agencies/developers under various schemes and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Grid Interactive Renewable Power"- saving of ₹19434.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹39800.00 lakhs) was due to non-sanctioning of new projects owing to dis-continuation of small hydro power schemes and receipt of less proposals for subsidy.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

2. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head: -

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4810"	Major Head "4810"			
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on New and Renewable Energy			
मू.	O.	1000.00		
		261000.00	257598.12	-3401.88
पू.	S.	260000.00		

(I) "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम और अनुप्रयोग - कार्यालय भवन" - ₹1000.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसम्बर, 2021 में ₹10000.00 लाख के पूरक अनुदान को प्राप्त करके बढ़ाकर ₹11000.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹3401.88 लाख की सीमा तक सिविल कार्यों के लिए तैयार बिलों को अंतिम रूप न दिए जाने, अतिरिक्त मदों की मंजूरी न होने/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विचलन तथा आईटी कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "New and Renewable Energy Programmes and Applications - Office Buildings" - the original provision of ₹1000.00 lakhs was augmented to ₹11000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹10000.00 lakhs in December, 2021 which, however, remained unutilized to the extent of ₹3401.88 lakhs - due to non-finalization of final bills for civil works, non-sanctioning of extra items/deviation by Central Public Works Department and delay in administrative approval for IT works.